

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नाननकोटा तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है० वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नाननकोटा दिनांक 08/04/15 को समान ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि का कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्माण किया गया है/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नाननकोटा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अरुण देवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत नाननकोटा  
वि०ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक 08/04/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नाननकोटा

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मदनसिंह	मदनसिंह
2	शमोसिंह	शमोसिंह
3	जन्नीबहादुर	जन्नीबहादुर
4	बालासिंह	बालासिंह
5	जगन्नाथ	जगन्नाथ
6	रेनु	रेनु
7	नीमादेवी	नीमादेवी
8	लीलादेवी	अ.नि. लीलादेवी
9	पानू राम	अ.नि. पानू राम
10	सुन्दर देव	सुन्दर देव
11	रेवतीदेवी	
12	दुर्गादेवी	अ.नि. रेवतीदेवी
13	रेवतीदेवी	अ.नि. दुर्गादेवी
14	रेवतीदेवी	
15	ब्रह्मसिंह	गोपालराम
16	पद्मादेवी	
17	शुलीदेवी	

C:\Documents and Settings\abc\Desktop\Chakargan Ghughuti\FORM 30 Forest Land Lakhrkot-burushpani.doc

18

जमनसिंह

जमनसिंह

आर.ए. देवी  
प्रधान

ग्राम पंचायत नाननकोटा  
विकास खण्ड सल्ट



क्र.सं.	नाम	इच्छा	कृपान
19	कृपालाक्ष		
20	गंगा देवी		
21	अपमिह		गंगा देवी
22	गंगा देवी		गंगा देवी
23	शशी देवी		शशी देवी
24	पुष्पा देवी		पुष्पा देवी
25	वसुधा देवी		वसुधा देवी
26	श्वेता देवी		श्वेता देवी
27	सखी देवी		सखी देवी
28	कल्याणी देवी		कल्याणी देवी
29	वाराह	वाराह	वाराह
30	जोगाराम		जोगाराम
31	इन्द्रा		इन्द्रा
32	बालाक्ष		बालाक्ष
33	अक्षराम		अक्षराम
34	अमला देवी		अमला देवी
35	अच्युता देवी		अच्युता देवी
36	इशामिह		इशामिह
38	अस-ती देवी		अस-ती देवी
39	जानुवती देवी		जानुवती देवी

### प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

### कार्यालय उपजिलाधिकारी सल्ट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

### उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत वनभूमि 2.700 है० वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील स्याल्दे को दिनांक 8/4/15 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री खन० खस० नबिआल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-


1. श्री खन० खस० नबिआल उपजिलाधिकारी सल्ट।
2. श्री वी०के० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी सानीखेत।
3. श्री हनुमन्त सोमज सल्ट उपजिलाधिकारी सल्ट।
4. श्रीमति दीपा देवी (बी०टी०सी० क्षेत्र दीपा देवी) सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.700 है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा

गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुराधा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड .....परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उपजिलाधिकारी  
सल्ट  
विभाग - अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

**FORM-1****(for linear projects)**

**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector - Almora**

No---

Dated-----


**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.70** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Manaldhura to Nanankoti Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of **Nanankoti** villages in **Bhikiyasain** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.70** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....to...annexure....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

  
15.04.15  
Signature

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT - ALMORA (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated 15-04-15 at time 3:00 PM at ..... in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring 2.70 hect for the Construction of Manaldhura to Nanankoti Motor Road (3.00 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the same purpose.

Place:.....

Dated:.....

Deputy Commissioner cum Chairman

District Level Committee

बल्मोड़ा.

अधिसारी अभिवक्ता  
निर्माण खण्ड, लोन्दिनि  
बल्मोड़ा

अधिसारी अभिवक्ता  
निर्माण खण्ड, लोन्दिनि  
बल्मोड़ा

बिस्वा समाज कल्याण अधिकारी  
बल्मोड़ा